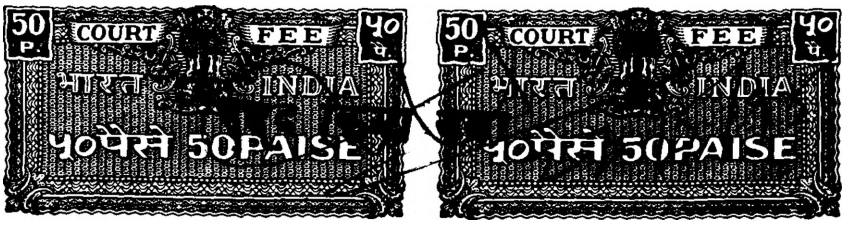

COURT FEE 50 P. भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

COURT FEE 50 P. भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

आवेदन क्रमांक
1920/95

प्रतिलिपि आवेदनकर्ता मूलचंद शाह - - - - - - - को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित हैं:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा[illegible]कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजू आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखाई मल्लाह,
   साकिन- निम्हौ थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

COURT FEE 50 P. भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

COURT FEE 50 P. भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

1-00

न्यायालयः - द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्षः - श्री जे0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे0के0एस0राजपूत, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। तुम तुम मूलचंद शाह आत्मज रामजीभाई शाह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ :- मार्च 91 से सितम्बर 91 के मध्य किसी समय

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे~~ भिलाई-दुर्ग (म0प्र0) में या उसके लगभग आपने ~~मूलचंद शाह~~ नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश रॉय, अभयकुमार सिंह, चंद्रबक्शसिंह, बलदेवसिंह एवं पल्टन मल्लाह के साथ आपसी सहमति द्वारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या [दि0 28-9-91 को प्रातः 3.45 बजे हुडको कॉलोनी दुर्ग में] की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव मैं आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

J. K. Rajput

। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दुर्ग, दिनांकः- 25-5-94

अभियुक्त को उक्त आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध से इंकार है ।

J. K. Rajput

MRL

। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांकः- 25-5-94

अपराध से इंकार है
J. K. Rajput 1-8-94
मूलचंद शाह 9/8/94

सत्यप्रतिलिपि
[signature] 23/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)